भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
सैक्टर 17, चंडीगढ़
www.rbi.org.in
निविदा फार्म

विषयः बैंक नोटों के चूरे की ब्रिकेट (ईंटों) की खरीद के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, सैक्टर 17, चंडीगढ़ -160017को निविदा

(बड़े बड़े शब्दो में "**बैंक नोटों के चूरे की ब्रिकेट (ईंटों) की खरीद के लिए निविदा** " अंकित करते हुए एक बड़े लिफाफे में, अलग अलग लिफाफों में बंद विधिवत भरे भाग- I और भाग- II के साथ बंद करके प्रस्तुत किया जाना है)

भाग-I: बैंक नोटों के चूरे की ब्रिकेट (ईंटों) की खरीद के लिए निबन्धन और शर्तें

क्षेत्रीय निदेशक , भारतीय रिज़र्व बैंक , चंडीगढ़, प्रतिष्ठित एवं अनुभवी ठेकेदारों से गंदे बैंक-नोटों के चूरे की ब्रिकेट (ईंटों) की बिक्री के लिए निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर निविदाएं आमंत्रित करती है।

01/07/2015 to 30/06/2016 तक की अवधि के लिए विधिवत रूप से भरा निर्धारित निविदा फार्म एक बंद लिफाफे में जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में "**बैंक नोटों के चूरे की ब्रिकेट (ईंटों) की खरीद के लिए निविदा** " अंकित हो और क्षेत्रीय निदेशक, पंजाब, हरयाणा तथा संघ क्षेत्र ,चंडीगढ़ को संबोधित हो तथा इस तरह भेजी जाए कि वह निर्गम विभाग, प्रथम तल, भारती रिज़र्व बैंक, सैक्टर 17, चंडीगढ़ -160017 में रखे निविदा बॉक्स में 15/06/2015 अपराह्न 2.00 बजे तक पहुंच जाए।

15/06/2015 अपराह्न 2.00 बजे के बाद प्राप्त निविदाएं किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी। निविदादाता, निविदा दस्तावेज़ (भाग I और भाग II दोनों) के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा और मोहर लगाएगा।

3. निविदा 15/06/2015 को अपराह्न 3:00 बजे महाप्रबंधक, निर्गम विभाग, चंडीगढ़ अथवा निविदादाता के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में अथवा निविदा खोलने के समय वहां उपस्थित रहने के इच्छुक उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला जाएगा।

4.ईंटों की बिक्री का संविदा, प्रति किलोग्राम के लिए ऑफर किए गये उच्चत्तम बोली दर तथा निविदादाता द्वारा प्रस्तुत कागज़ातों के आधार पर दिया जाएगा। दरें एक वर्ष के लिए अर्थात01/07/2015 से 30/06/2016 तक वैध रहंगी। बैंक को बिना कारण बताए कोई भी अथवा सभी निविदाएं अस्वीकृत करने का अधिकार है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अन्तिम होगा।

5.गंदे बैंकनोटों के ईंटों की बिक्री के लिए संविदा एक वर्ष के लिए निविदा में विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों पर निष्पादित की जाएगी। निविदादाता के कार्यनिष्पादन के आधार पर बैंक मौजूदा निबन्धनों और शर्तों पर सफल निविदादाता के साथ की गयी संविदा आने वाले दो वर्ष के लिए नवीकृत कर सकती है, जिसकी अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. आवेदक को निविदा दस्तावेज़ के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक चंडीगढ़ के पक्ष में चंडीगढ़ में देय रुपये 16, 000/- (धरोहर राशि के तौर पर किसी वाणिज्य बैंक में आहरित रुपये सोलाह हज़ार मात्र) का मांग ड्राफ्ट देना होगा। असफल बोलीदाता से प्राप्त धरोहर राशि लौटा दी जाएगी। रुपये 16,000/- की धरोहर राशि के बगैर प्राप्त निविदा अस्वीकृत की जाएगी। सफल बोलीदाता को, सूचित किये जाने की

तारीख से 7 दिन के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक करार करना होगा। करार की पूर्ति के संबंध में सफल बोलीदाता को, भारतीय रिज़र्व बैंक चंडीगढ़ के पक्ष में किसी वाणिज्य बैंक में आहरित 30,000/- रुपये (रुपये तीस हज़ार मात्र) की डिमांड ड्राफ्ट जो चंडीगढ़ में देय होगी बतौर ज़मानत जमा करनी होगी, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संविदा की वैधता अवधि तक रखी जाएगी। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सफल बोलीदाता द्वारा बतौर धरोराशि जमा रुपये 16,000/- की राशि रुपये 30,000/- की ज़मानत राशि जमा करने पर लौटा दी जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा करार निष्पादित करने के लिए कहे जाने पर यदि सफल बोलीदाता करार निष्पादित करने में असफल रहता है तो रुपये 16,000/- की राशि ज़ब्त कर ली जाएगी।

7. निविदाता अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि संविदागत कार्य की देख-रेख के लिए बैंक में तब तक मौजूद रहेंगे, जब तक कि कार्य चल रहा हो।ठेकेदार सभी विधिक बाध्यताओं का पालन करेगा।

8.यदि बैंक को यह पता लग जाए कि निविदादाता को पहले भी करार दिया गया था परंतु उसने निबन्धनों और शर्तों के अनुसार कार्य निष्पादित नहीं किया तो बैंक निविदादाता को अयोग्य ठहरा सकता है।

9. ठेकेदार ब्रिकेटस लेते समय उचित सावधानी बर्तेगा ताकि वे रास्ते में गिरे नहीं और गलत/अनजाने व्यक्तियों के हाथ में न पड़ जाएं।

10.ब्रिकेटस जमा हो जाने पर ठेकेदार कार्यदिवसों (सोमवार से शनिवार) को प्रात:9.30 बजे से साँय 5.30 बजे के बीच बैंक के परिसर से उन्हें तुरंत इकट्ठा करेगा । बैंक परिसर से ब्रिकेट के बोरों को उठाने के संबंध में ठेकेदार मज़दूरों और परिवहन(अपने खर्च पर) के लिए व्यवस्था स्वंय करेगा ।

11. ठेकेदार, जमा हुए ब्रिकेटस बैग सप्ताह में कम से कम एक/दो बार अथवा जब भी टेलीफोन से सूचित किया जाए अथवा बैंक द्वारा लिखित में कहे जाने पर "जहां है , जैसा है आधार पर" एकत्रित करेगा ऐसा नहीं कर पाने पर बैंक को ठेकेदार के खर्चे पर उन्हें बैंक परिसर से हटाने का अधिकार रहेगा। उन बैगों को बैंक के परिसर/ पार्किंग क्षेत्र से हटाने का खर्च ठेकेदार से वसूला जाएगा । ठेकेदार को उनका भुगतान तत्काल करना होगा।यदि ठेकेदार भुगतान करने में असफल रहता है तो बैंक को ऐसे खर्चे, बैंक के पास जमा ज़मानत राशि से समायोजित करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा बैंक की मांग के अनुसार काम नहीं किये जाने पर बैंक को प्रत्येक अवसर पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।ठेकेदार को उसकी अदायगी तुरंत करनी होगी। पर दंडात्मक कार्रवाई शुरु करने से पूर्व ठेकेदार को सुनवाई के लिए सक्षम अधिकारी(क्षेत्रीय निदेशक) द्वारा उचित अवसर दिया जाएगा। क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

12. ठेकेदार को करार की अवधि के दौरान, बैंक को अच्छी क्वॉलिटी पर्याप्त संख्या में पॉलीथीन के खाली बैग, जिनमें 45 कि.ग्रा भार के ब्रिकेट भरी जा सकें, अपने खर्चे पर उपलब्ध करवाने होंगे ताकि बैग में जमा हुई ब्रिकेटस साथ साथ भरे जा सकें।

13. ठेकेदार से अपेक्षित है कि वह इस प्रकार खरीदे गये ब्रिकेटस के अन्तिम उपयोग के संबंध में सूचना प्रस्तुत करे। ठेकेदार से अपेक्षित है कि वह इस आश्य का एक हल्फ्नामा प्रस्तुत करे कि बैंक द्वारा उनको बेचे गये ब्रिकेटस के प्रयोग से वातावरण में प्रदूषण नहीं फेलेगा और इन ब्रिकेटस का प्रयोग भारत सरकार और राज्य सरकारों के अधिनियमों /नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

14. जिस दिन बैंक , ठेकेदार को ब्रिकेटस के जमा हुए बैगों की बिक्री करेगा उस दिन उसे संविदागत कीमत प्रति बैग के हिसाब से नकद में अदा करना होगा। ब्रिकेटस की बिक्री के दौरान ठेकेदार से प्रति किलो ग्राम बिक्री के अतिरिक्त प्रयोज्य वैट और स्त्रोत पर काटा जाने वाला कर भी वसूला जाएगा।

15. ठेकेदार को आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपेक्षित दस्तावेज़ ,यदि हो, प्रस्तुत करना होगा अथवा आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्त्रोत पर देय कर, यदि हो, अदा करने होंगे।

16.यदि ठेकेदार करार के किन्हीं भी निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन करता है तो 30 दिन को नोटिस दे कर करार समाप्त किया जाएगा और इस संबंध में बैंक का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने इस निविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व यहां निहित सभी निबन्ध और शर्तें पढ़ और समझ ली हैं और मैं उनका पालन करने के लिए वचनबद्ध हूं।

संल्गनकः डीडी/भुगतान आदेश

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित
नाम:-
तारीख:-
पता

तारीख सहित साक्षी के हस्ताक्षर सहित
नाम:-
पता

भाग -II (बतौर मूल्य बोली अलग मोहरबंद लिफाफे में बड़े अक्षरों में " श्रेडिड ब्रिकेटस की खरीद के लिए निविदा) मूल्य बोली   अंकित करते हुए प्रस्तुत किया जाना है

<u>विषय वस्तु</u>

1.	व्यक्ति/ कंपनी/ फर्म/संस्थान/ मालिक का नाम	
2.	पंजीकृत पता;	
3.	कारोबार के ब्यौरे	
4.	उस संस्था का नाम जहां पर आप पंजीकृत है तथा पंजीकरण	
5.	पैन नंबर (स्व-सत्यापित प्रतिलिपि नत्थी करें	
6.	टेलीफोन /मोबाईल नंबर	
7.	फैक्स नंबर	
8.	बैंक शाखा का नाम और पता	
9.	बैंक खाते कि किस्म और खाता संख्या	

10. आवेदक के स्वामित्व वाले ट्रकों /कंटेनरों , जिनमें ब्रिकेटस ले जाये जानें हैं, के ब्यौरे

क्र. सं	मैक/ मॉडल	वर्ष	क्षमता(टनों में)	पंजीकरण सं	परमिट सं(राष्ट्रीय/राज्य)

11. उन संस्थाओं (करार के विवरण सहित) के विवरण , जिनके इसी तरह के करार, यदि हों, संपादित किए गये हों।

संस्था का नाम	पता और टेलीफोन सं	करार की अवधि

12. दर प्रति कि.ग्रा.________________

13. (i)इस आवेदन के साथ संल्गन रुपये 16,000/- की धरोहर राशि/मांग ड्राफ्ट के विवरण
राशि, -----------रुपये
मांग ड्राफ्ट सं----------------
तारीख-----------------------

जारी कर्ता बैंक शाखा का नाम /पता-----------------------

14. मैं भारतीय रिज़र्व बैंक चंडीगढ़ के दस्तावेज़ में यथानिर्धारित निबन्धनों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं।

तारीख -----------------------

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम ( )
(फर्म/कंपनी का रबड़ मोहर/सील)